पत्रांक–जी/नि0सु0अ0–14–99/2013................................/

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी

सेवा में,

स्पीड पोस्ट

श्री मानस रंजन उपाध्याय,
पिता–स्व0 श्रीबत्स उपाध्याय,
एच0आई0जी0 ए/2, फेज– III,
कलिंगा विहार, छेंद कॉलोनी,
राउरकेला, जिला–सुन्दरगढ़, उड़ीसा–769015

पटना, दिनांक–............अप्रैल, 2017

विषयः– **बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में Bright Intelligence Services Pvt. Ltd. निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु अनुज्ञप्ति के निमित्त समर्पित आपके आवेदन दिनांक–05.06.2014 की अस्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन समर्पित किया गया। बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के नियम 7(3) में निहित प्रावधानों के तहत आपके द्वारा प्रपत्र–V की कंडिका 14 में अंकित प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया।

पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, औरंगाबाद के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण स्थल पर कोई प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। तदालोक में विभागीय पत्रांक–9611 दिनांक–27.09.2016 द्वारा अधिनियम की धारा–7(4) (a) में निहित प्रावधान के तहत आपसे कारण पृच्छा की गयी कि आपके द्वारा प्रपत्र V में अंकित स्थल पर कोई प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं पाए जाने के कारण क्यों नहीं अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाए ?

प्रदत्त अवधि समाप्त होने तथा विभागीय पत्रांक–1664 दिनांक–28.02.2017 द्वारा स्मारित किए जाने के उपरान्त भी उक्त वांछित स्पष्टीकरण अब तक अप्राप्त है। अतः यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा आपके पास प्रशिक्षण सुविधा नहीं हैं, अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक–05.06.2014 **अस्वीकृत** किया जाता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांक :–... **पटना, दिनांक................अप्रैल, 2017**

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यदि विषयांकित अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना व्यवसाय किया जा रहा हो, तो जाँचोपरान्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–3292.............................. **पटना,दिनांक–**...21.......**अप्रैल,2017**

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 20.04.17
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकार